41

राजस्थान—सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 9(10)राज -1/2015

जयपुर, दिनांक : 10 MAY 2017

—ः अधिसूचनाः —

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या—15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर व राजस्व मण्डल से प्राप्त प्रस्ताव / अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला बारां की तहसील छीपाबडौद, बांरा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगां :-

क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि.मी.	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल	775
			जनसंख्य 1	क्षेत्रफल	ग्राम का नाम	जनसंख्या	क्षेत्रफल	में	(हैक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0.000000000
1	· बारां/ ं छीपाबडौद	दीगोद जागीर	2376	824	रामपुरिया	425	459.80	2.0	364 200	RAMPURIYA
2	बारां / बारां	बावडीखेडा	1178	489.44	बावनमाता की झौपड़िया	286	149.35	2.50	340.09	KI THAUPDEYA

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों / नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, बारां को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

(एस.आर. प्रिलानिया) संयुक्त शासन सचिव

कृपउ.....